सेक्टर–19 एवं 32,
यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम–खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा आमंत्रण सूचना कमांक ..../6(2)/........./संपदा/एनआरडीए/201...

नया रायपुर, दिनांक ..../....../2015

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

केपिटल काम्प्लेक्स, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.) – 492002

दूरभाष **07712511400,** फैक्स **07712511400** ई–मेल **: ceo@nayaraipur.com,** वेब साइट – **www.nayaraipur.com**

गुमटियों के आबंटन हेतु आवेदन आमंत्रण सूचना

आवेदन प्रपत्र निम्नांकित को जारी –

मेसर्स / श्री ______________________________

____

____

शुल्क :– रूपये 500 / – (रूपये पांच सौ मात्र)

मनी रसीद बुक नं. ______________, रसीद नं.______________, दिनांक ____ / ____ / 2015

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी
नया रायपुर

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह निविदा भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदा दाता द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. निविदा दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज टेंडर जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देष्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देष्य और आवष्यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आवष्यक नहीं है। अतः निविदा भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्ष प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं भरें।
4. निविदा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए दायी नहीं होंगे।
5. निविदा आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट www.nayaraipur.gov.in में सूचना प्रकाषित करते हुए, स्व–विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, निविदा सूचना की शर्तों में संषोधन यह निविदा दस्तावेजों को पूर्णतः किया जा सकता है। उक्ताषय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।

nayaraipur नया रायपुर

नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी

राजधानी परिसर, सेक्टर–19, नया रायपुर (छ.ग.)–492002

दूरभाषः 0771–2511400 फैक्स नं. 0771–2 511500 ई–मेल ceo@nayaraipur.com

www.nayaraipur.com

क्रमांक 6(2)/ /संपदा/एनआरडीए/2013, नया रायपुर, दिनांक / /2015

सेक्टर–19 एवं 32, यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

....

1.0 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित विषेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजधानी नगर की प्लानिंग, विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

2.0 नया रायपुर का विकास ''नया रायपुर विकास योजना – 2031'' के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। विकास के अनुक्रम में अथॉरिटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर, भिन्न–भिन्न उपयोगों के लिए भवनों/सामाजिक/व्यवसायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में सेक्टर–19 एवं 32, यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों को निविदा के माध्यम से लाइसेंस पर आबंटन किया जाना है।

3.0 नया रायपुर के सेक्टर–19 एवं 32, यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के लाइसेंस पर आबंटन हेतु निर्धारित निविदा आमंत्रण सूचनाा में दी गई तिथि के दोपहर 3.00 बजे तक उपरोक्त पते पर आमंत्रित है।

3.1 निविदा प्रपत्र जिनमें आबंटन की शर्ते आदि दी गई है, दुकानों के लिये निर्धारित शुल्क रू. 500/– के लिये जमा कर राजधानी परिसर, सेक्टर–19, नया रायपुर एनआरडीए कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय है।

3.2 निविदा आमंत्रण सूचना में संषोधन किये जाने की स्थिति में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हुए एनआरडीए के वेबसाइट **www.nayaraipur.com** पर प्रकाषित की जायेगी।

4.0 आबंटन :–

4.1 निम्नांकित दुकानों के लाइसेंस पर आबंटन हेतु निविदाएँ आमंत्रित हैं –

सेक्टर एवं स्थान/ग्राम का नाम	गुमटी क्रमांक	आकार	आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क
सेक्टर–19 यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास	6	2.4X2.40 मीटर = 5.76 वर्गमीटर	385/–
सेक्टर–32 ग्राम खपरी	3	2.9X2.5 मीटर = 7.25 वर्गमीटर	385/–
	6	2.9X2.5 मीटर = 7.25 वर्गमीटर	385/–

4.2 एक निविदा प्रपत्र में केवल एक ही गुमटी के लिए निविदा भरी जा सकेगी।

4.3 गुमटियों का आबंटन प्राप्त करने के लिए निविदा दाता को निर्धारित निविदाप्रपत्र में मासिक लाइसेंस शुल्क की राषि भरना होगा। जिस निविदा दाता की लाइसेंस राषि सर्वाधिक होगी, उसके पक्ष में गुमटी का आबंटन किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

4.4 गुमटियों का आबंटन लाइसेंस पर प्रथम तीन वर्ष की अवधि के लिए किया जायेगा। लाइसेंस की शर्तों का पालन करने की स्थिति में, लाइसेंस शुल्क में में वार्षिक आधार पर पिछले वर्ष के लाइसेंस शुल्क में 15 प्रतिषत वृद्धि के साथ पुनः तीन वर्ष के लिए लाइसेंस की अवधि बढाई जा सकेगी।

5.0 निविदा आमंत्रण एवं निविदा भरने वाले व्यक्तियों के लिए निर्देष

5.1 गुमटियों के आबंटन के लिए अर्हता रखने वाले किसी भी वयस्क व्यक्ति को निविदा लेने की पात्रता होगी।

5.2 अर्नेस्ट मनी – निविदा दाता को निविदा के साथ रूपये 1,000/– (एक हजार मात्र) की राषि, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, को रायपुर/नया रायपुर के बैंक में देय बैंक ड्राफ्ट या पे–आर्डर या बैंकर्स चेक के द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा। निधारित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा करना नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5.3 निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका–

(1) निविदा दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी–

5.4 **लिफाफा ''ए''** इस लिफाफे में अर्नेस्टमनी, निर्धारित शुल्क फार्म की रसीद होगा। लिफाफा बंद कर उसके उपर लिफाफा ''ए'' तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवष्यक होगा।

5.6 **लिफाफा ''बी''** इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरें शब्दों एवं अक्षरों दोनो में भरी जावे। यदि कोई कांट–छांट या संषोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति–हस्ताक्षर किये जाये। शब्दों एवं अक्षरों या कांट–छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।

5.7 उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् **लिफाफा ''ए''** तथा **लिफाफा ''बी''** एक बड़े लिफाफे में बंद कर निवदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व एनआरडीए कार्यालय में जमा किये जायेंगे। विलंब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

6.0 निविदा खोले जाने की विधि–

6.1 निर्धारित तिथि में निविदा जमा करने का समय समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष की जायेगी। सबसे पहले बाहरी लिफाफा खोला जायेगा उसके बाद लिफाफा ''ए'' खोला जायेगा।

6.2 **लिफाफा ''ए''** के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद पात्रता निर्धारित की जायेगी। पात्र पाये गये निविदा दाताओं के **लिफाफा ''बी''** अन्य तिथि में, उन्हें उपस्थिति हेतु सूचना देते हुए निर्धारित की गयी तिथि को खोले जायेंगे और प्राप्त निविदा दरों की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी।

6.3 प्राप्त उच्चतम निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उचित पाया गया तो निगोषियेषन के उपरांत या बिना निगोषियेषन किये निविदा स्वीकृत की जायेगी।

7.0 निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदा दाता को दी जायेगी। सूचना पत्र जारी होने के 30 दिनों के भीतर, सफल निविदा दाता को तीन माह का लाइसेंस सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। इसके उपरांत 30 दिनों के भीतर लाइसेंस अनुबंध 100.00 रू. (एक सौ रूपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कराना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर जमा की गयी राषि

राजसात कर लेवें। अपरिहार्य कारणो से सफल निविदा दाता के लिखित अनुरोध पर विलंब शुल्क लेते हुए समयावधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

8.0 आबंटन की अन्य शर्ते :–

8.1 आबंटिती को स्वयं के व्यय पर लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराना होगा।

8.2 आबंटिती को मासिक लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एनआरडीए कोष में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में, विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिषत वार्षिक ब्याज की दर से विलंब शुल्क के साथ देय राषि जमा करायी जा सकेगी परंतु तीन माह से अधिक बकाया रहने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

8.3 जिस व्यक्ति को गुमटी का आबंटन किया गया है, उसे स्वयं गुमटी में व्यवसाय चलाना होगा या किन्ही कारणों से यदि वह स्वयं गुमटी व्यवसाय करने में असमर्थ हो तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति से वह किसी अन्य को, लाइसेंस की शर्तो के अध्यधीन किराये पर दे सकेगा।

8.4 आबंटिती द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को गुमटी का हस्तातंरण नहीं किया जायेगा।

8.5 आबंटिती द्वारा गुमटी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

8.6 आबंटिती द्वारा आबंटन किये गये गुमटी के अलावा अन्य कोई स्थान पर सामान प्रदर्षित नहीं किया जायेगा न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जायेगा।

8.7 आबंटिती द्वारा गुमटी का रख–रखाव एवं रंगाई–पोताई एवं मरम्मत स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।

8.8 आबंटिती को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जेस का भुगतान समय पर करना होगा।

8.9 किन्ही कारणों से लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर आबंटिती को गुमटी आबंटन पूर्व की स्थिति में खाली कर वापस सौपना होगा। आबंटिती द्वारा जमा की गई, प्रीमियम की राषि वापस नहीं की जायेगी।

8.10 आबंटिती को गुमटी के भीतर एवं आस–पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा और कूड़ादान रखना होगा तथा कूड़ा कचरा एकत्रित कर एनआरडीए द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर उसका निष्पादन करना होगा अन्यथा गुमटी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

8.11 आबंटिती केवल आबंटन किये गये स्थान में ही व्यवसाय करेगा। आबंटित स्थान से बाहर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाये जाने पर गुमटी का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।

8.12 आबंटित स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। आबंटिती केवल अपनी गुमटी से संबंधित साइन बोर्ड निर्धारित आकार में एनआरडीए से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगायेगा।

8.13 आबंटिती द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।

8.14 आबंटिती द्वारा गुमटी में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण या क्रय–विक्रय नहीं किया जावेगा।

8.15 लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर एनआरडीए को लाइसेंस निरस्त कर गुमटी रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।

8.16 किसी तरह की विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

निविदा प्रपत्र

सेक्टर–19 एवं 32, यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

मैं...आत्मज..आयु.............. पता.. सेक्टर–19 एवं 32, यूटिलिटी ब्लाक मंत्रालय परिसर के पास एवं ग्राम खपरी में गुमटियों के आबंटन के लिए बुलायी गई निविदा के अंतर्गत गुमटी क्रमांक .... के लिए अपनी निविदा निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता हूँ।

सेक्टर एवं गुमटी क्रमांक	प्रस्तुत निविदा	
	मासिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में)	मासिक लाइसेंस शुल्क (षब्दों में)

2. मैंने निविदा की सभी शर्ते पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त में निर्धारित अर्नेस्टमनी की राषि लिफाफा–ए में जमा कर दी गई है।

3. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राषि जमा करूंगा तथा लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराउंगा। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तो का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राषि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंवे।

निविदादाता का हस्ताक्षरः–....................
नामः–...
पताः–..
....
दिनांकः–...

(1) साक्षी का हस्ताक्षर.........................
नामः–...
पताः–...
....
दिनांकः–...

1) साक्षी का हस्ताक्षर...............................
नामः–..
पताः–..
....
दिनांकः–...